

**स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद
परिसर में वाहन स्टैण्ड की नीलामी की शर्तें ।**

1. नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया बोली के माध्यम से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद परिसर में सम्पन्न की जायेगी।
2. जिला चिकित्सालय परिसर में निम्न तीन स्थानों पर अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था हेतु एक ही नीलामी बोली लगाई जाएगी—
 - इमरजेन्सी
 - 100 शैय्या
 - पुरुष जिला चिकित्सालय
3. नीलामी को प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक बोली दाताओं को दिनांक 10.06.2022 से दिनांक 26.06.2022 के अपरान्ह 04:00 बजे तक निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्रामाणित प्रतियां एक बन्द लिफाफा में रखकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद परिसर में आकर जमा करना होगा।
 - नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाता का पैनकार्ड, आधार कार्ड तथा जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 - फर्म स्वामी को प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
 - वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 का ITR जो कि C.A. द्वारा प्रमाणित हो।
 - नीलामी बोलीदाता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय आदि में कोई वाद (केस) दर्ज पंजीकृत ना होने एवं काली सूची (Black Listed) में दर्ज ना होने का 100 रू० के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र।
 - किसी भी सरकारी कार्यालय/निगम में वाहन स्टैण्ड ठेका चलाने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव (वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक)
 - जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो कि धनराशि रू० 500000.00 (रू० पांच लाख मात्र) से कम का ना हो।
4. दिनांक 26.06.2022 के अपरान्ह 04:00 बजे तक इच्छुक नीलामी बोली दाताओं द्वारा जमा किये गये समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों की जांच की जायेगी एवं जॉचोपरान्त दिनांक 27.06.2022 को अर्ह नीलामी बोलीदाताओं की सूची कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।
5. अर्ह नीलामी बोलीदाता दिनांक 28.08.2022 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तीनों स्थानों के लिए एकमुश्त जमानत की धनराशि रू 50000.00 (रू० पचास हजार मात्र) नगद स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, फिरोजाबाद में उपस्थित होकर जमा करेंगे।
6. जिला चिकित्सालय परिसर में तीनों स्थानों की पार्किंग व्यवस्था हेतु न्यूनतम आरक्षित बोली रू 500000 (रू० पांच लाख) निर्धारित की जा रही है। इच्छुक नीलामी बोलीदाता को इस धनराशि से अधिक धनराशि की बोली लगाना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक अगली बोली न्यूनतम रू० 5000/- बढ़ाकर की जाएगी।
8. उच्चतम बोली दाता की जमानत की धनराशि रोककर अन्य सभी बोली दाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

9. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि, जमानत धनराशि को सम्मिलित करते हुए तत्काल नगद रूप में जमा करनी होगी। ऐसा ना करने पर जमानत धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।
10. उच्चतम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् उच्चतम बोली के मूल्य का अवशेष 75 प्रतिशत तथा कुल धनराशि पर निर्धारित GST सहित धनराशि दिनांक 04.07.2022 तक कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा बोली दाता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जब्त करने के अधिकार विभाग का होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराने के तत्काल बाद ही उसे वाहन पार्किंग की समस्त व्यवस्थाएँ करनी होगी।
12. उक्त के अतिरिक्त सफल नीलामी बोलीदाता को रू0 75000.00 (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) एक वर्ष के लिए धरोहर धनराशि के रूप में बैंक डाफ्ट के माध्यम से जो कि Principal Autonomous State Medical College Ferozabad के पक्ष में देय हो, दिनांक 04.07.2022 तक जमा करना होगा।
13. वाहन स्टैण्ड की दरें निम्नवत् निर्धारित की जा रही हैं—

1. साइकिल	5.00 रू0
2. मोटर साइकिल/स्कूटर मोपेड/ई-रिक्सा/ऑटो	10.00 रू0
3. चार पहिया वाहन (कार, जीप आदि)	20.00 रू0
14. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित दरों पर ही शुल्क लिया जायेगा।
15. नीलामी प्रक्रिया में बोली दाता द्वारा स्वयं तथा प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
16. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोली दाता को जिला चिकित्सालय परिसर में वाहनो को सुरक्षात्मक व व्यवस्थित रूप में खड़ा करने के लिए महाविद्यालय के द्वारा दिये गये स्थानों पर स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
17. सफल बोली दाता को वाहन स्टैण्ड में कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करना होगा।
18. वाहन स्टैण्ड का संचालन 24x7 रहेगा। जिसमें पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता बोली दाता को करनी होगी।
19. वाहन स्टैण्ड एरिया में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था बोली दाता को रखनी होगी।
20. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोली दाता द्वारा महाविद्यालय के स्टॉफ हेतु इन्ही तीनों स्थानों पर निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था करनी होगी।
21. नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्या स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में निहित होगा।
22. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोली दाता को प्रत्येक पार्किंग स्थानों पर नियम व शर्तों सम्बन्धी बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त बोर्ड पर प्रत्येक वाहन का पार्किंग रेट अंकित होगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समक्ष न्यायालय जनपद फिरोजाबाद होगा।

आज्ञा से
प्रधानाचार्या